संख्या-49/2022/747/सैंतीस-2-2022/001-1(49)/07

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 मई, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-139/प.-2/22/1/4/डी.एफ.एस./एल.डी.बी./2022-23, दिनांक-12.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों यथा-रहमानखेड़ा (लखनऊ), मंझरा (खीरी) एवं बाबूगढ़ (हापुड़) के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-13-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-503.15 लाख (रूपये पॉच करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
02-मजदूरी	25.66
08-कार्यालय व्यय	0.63
09-विद्युत देय	24.66
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.41
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.33
13-टेलीफोन पर व्यय	0.26
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	6.33
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	39.50
29-अनुरक्षण	13.33
39-औषधि तथा रसायन	50.00
42-अन्य व्यय	36.66
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	266.66
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.06
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	36.66
योग-	**503.15**

(रूपये पॉच करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
3. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
6. मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
7. मानक मद 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
11. स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक-30.12.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001021300 (अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन	02 मजदूरी	25,66,000 (रुपये पच्चीस लाख छियासठ हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		केन्द्र		मात्र)
2	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	08 कार्यालय व्यय	63,000 (रुपये त्रेसठ हजार मात्र)
3	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	09 विद्युत देय	24,66,000 (रुपये चौबीस लाख छियासठ हजार मात्र)
4	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	41,000 (रुपये इकतालीस हजार मात्र)
5	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
6	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	13 टेलीफोन पर व्यय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
7	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,33,000 (रुपये छह लाख तैंतीस हजार मात्र)
8	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	39,50,000 (रुपये उनतालीस लाख पचास हजार मात्र)
9	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	29 अनुरक्षण	13,33,000 (रुपये तेरह लाख तैंतीस हजार मात्र)
10	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	39 औषधि तथा रसायन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
11	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	42 अन्य व्यय	36,66,000 (रुपये छतीस लाख छियासठ हजार मात्र)
12	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,66,66,000 (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		केन्द्र		छियासठ हजार मात्र)
13	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,06,000 (रुपये एक लाख छह हजार मात्र)
14	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	36,66,000 (रुपये छत्तीस लाख छियासठ हजार मात्र)
	कुल			**5,03,15,000** **(रुपये पांच करोड़ तीन लाख पंद्रह हजार मात्र)**
महायोग				5,03,15,000 (रुपये पांच करोड़ तीन लाख पंद्रह हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-49/2022/747(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(49)/07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।